

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक 662 / गोपनीय / 2018
दो-२-९ / ९७

जबलपुर, दिनांक 4 जून, 2018


प्रतिलिपि : - प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, गोपाल की अधिसूचना फांट क्रमांक 2156 / 21-ब(दो), दिनांक 29.05.2018 की प्रति :

1. उपनियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, हड्डीबांग, भोपाल ६, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को उनकी अधिसूचना फांट क्रमांक 2156 / 21-ब(दो), दिनांक 29.05.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ हेतु अग्रेषित।
3. श्री विजय चंद्रा, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार राँपे, जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर यथाशीघ्र कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एग० अ.गुगांग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांरी रोड, ग्वालियर - 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. रजिस्ट्रार (आई०टी०), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर / जिला जज (निरीक्षण), ज०५०-१, जजोस एनक्लेव, रेसीडेंसी ऐरिया, इन्दौर - 452001 / जिला जज (निरीक्षण), २८/बी, रेसकोर्स रोड, गेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर / इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी रोड, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदर्य सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ५७४, साउथ सिविल लाईंस, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) सदर्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) प्रिसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) / (न्यायिक) / (Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary) / (जिला स्थापना) / (I.I. & I.I.R) / (न्यायिक १) / (न्यायिक २) / (सतर्कता) / (प्रशासन) / रजिस्ट्रार सह सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (8) प्रभारी संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. रजिस्ट्रार (ई०) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक १) / (न्यायिक २), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. रजिस्ट्रार कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के रूचनार्थ अग्रेषित।

16/5/2018
मुख्य न्यायाधिपति

9. माननीय न्यायाधिपति श्री के निजी सचिव, उच्च न्यायालय
मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के रूचनार्थ अग्रेषित।
10. माननीय न्यायाधिपति श्री के निजी सचिव, उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
11. माननीय न्यायाधिपति श्री के निजी सचिव, उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
12. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
13. अनुभाग अधिकारी, पेन्शन/बंजट/सहायक (कार्य)/शिकायत/वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/
अग्रिम/अवकाश (राजपत्रित)/सिविल वेकर/फ्रिमिनाल वेकर/लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय
मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी : रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(I.T) (SA)/2018/368, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग
संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है।
अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति
डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालना सुनिश्चित करें।



(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 29/05/2018

फारमाक 2156/21-ब(दो), राज्य विधिक संदर्भ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 39) एवं यथा संशोधित विधिक संदर्भ प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) की धारा उप धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने द्वारा राज्य शासन, म0प्र० उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री विजय चंद्रा, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), मप्र उच्च न्यायालय, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से म0प्र० रज्य विधिक संदर्भ प्राधिकरण, जबलपुर में सदर्य-सचिव के रूप में, प्रतिनियुक्ति प्रदान करता है।

F.No. 2156/21-B(2). In exercise of the powers conferred by subsection (3) of section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh appoints on deputation Shri Vijay Chandra, Registrar(Vigilance), High Court, M.P. as Member-Secretary of Madhya Pradesh Legal Service Authority, with effect from the date he assumes office.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठाकान कमांक 2156/21-ब(दो), 2017

भोपाल, दिनांक 29/05/2018

प्रतिलिपि -

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर पत्र फॉर्माक 629 / Confull/2018 II-29/97 दिनांक 18 मई 2018 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (2) विधि परामर्शी म0प्र० शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) रादर्य सचिव, म0प्र० राज्य विधिक संदर्भ प्राधिकरण, सी-2 साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) भालौखाकार, लोटु : एवं हकदारी (टी/एम) म0प्र० गवालियर
- (5) श्री विजय चंद्रा, रजिस्ट्रार (विजिलेंस), म.2, उच्च न्यायालय, जबलपुर
- (6) वरिष्ठ कोपालय अधिकारी, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (7) जिला सत्र एवं न्यायाधीश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (8) आईटी शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने वाला।
- (9) उप नियन्त्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स भापाल 6 की ओर भेजकर नियंत्रण है कि म0प्र० असाधरण राजपत्र भाग-एक में प्रकाशित करने हेतु। कृपया राजपत्र को 50 प्रतिया इस विभाग को भेजने का कष्ट करें।

(गोपाल श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग